17-1/Acd/CSU/Project/2025/1694

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित)

जनकपुरी, नई दिल्ली – 110058

अधिसूचना

दिनांक 09.01.2025

विषय: छात्रों के कौशल विकास हेतु परिसरों में कौशल आधारित पाठ्यक्रमों का संचालन।

छात्रों के कौशल विकास को ध्यान में रखते हुए माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति के आधार पर अधोलिखित निर्णय लिए गए हैं –

1. ऐसे विशेष कौशल आधारित पाठ्यक्रम विकसित किए जाएंगे जो नियमित शैक्षणिक पाठ्यक्रम से भिन्न हों और व्यावहारिक एवं व्यावसायिक कौशल पर केंद्रित हों, जैसे – वेद, पौरौहित्य, कर्मकाण्ड, ज्योतिष, पत्रकारिता, योग, वि-लॉगिंग, तर्कशास्त्र, सामान्य व्याकरण (सन्धि, समास, प्रत्यय), भारतीय आतिथ्य, पाककला आदि।
2. इन पाठ्यक्रमों का विकास विश्वविद्यालय परिसरों में कार्यरत प्राध्यापकों (नियमित एवं संविदा/अतिथि) द्वारा किया जाएगा और इन्हें विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।
3. इन पाठ्यक्रमों का संचालन उन्हीं प्राध्यापकों द्वारा किया जाएगा जिन्होंने इनका विकास किया हो।
4. पाठ्यक्रमों की क्रेडिट प्रणाली और शुल्क संरचना विश्वविद्यालय के नियमानुसार रहेगी।
5. इन पाठ्यक्रमों की परीक्षा और प्रमाणपत्र प्रदान करने की व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा की जाएगी।
6. पाठ्यक्रमों से प्राप्त शुल्क का 60% संबंधित संचालक प्राध्यापक को दिया जाएगा और 40% विश्वविद्यालय के पास रहेगा।
7. इन शिक्षण कार्यों को विश्वविद्यालय के निर्धारित शिक्षण कार्यभार (प्रोफेसर: 14 घंटे, एसोसिएट प्रोफेसर: 16 घंटे, सहायक प्रोफेसर: 16 घंटे, और अन्य प्राध्यापक: 20 घंटे साप्ताहिक) के अतिरिक्त किया जाएगा।
8. इन पाठ्यक्रमों का संचालन परामर्श नीति (Consultancy Policy) के तहत किया जाएगा।

परिसरों में कार्यरत प्राध्यापक उक्त नियमानुसार अपने प्रस्ताव को अधिष्ठाता (शै.मा.) के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

(प्रो. मदन मोहन झा)
अधिष्ठाता (शै.मा.)

प्रतिलिपि –

1. कुलपति कार्यालय, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
2. कुलसचिव कार्यालय, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
3. परीक्षा नियत्रंक, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
4. वित्त अधिकारी, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
5. निदेशक, समस्त परिसर, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
6. समस्त अधिष्ठाता/विद्याशाखा अध्यक्ष, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
7. परियोजना अधिकारी, वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
8. सम्बद्ध पंजिका